आयुष काउंसिलिंग शिक्षण सत्र 2026-27
FAQ (Frequently Asked Questions)

प्रश्न 1- क्या आयुष काउंसिलिंग प्रवेश सत्र 2026-27 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को पंजीयन (Registration) कराना अनिवार्य है ?

उत्तर- हाँ, NCISM/NCH एवं मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2026-27 हेतु नियमों के प्रावधानुसार काउंसिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जो अधिसूचित दिनांक एवं तिथियों में MP online Portal पर किया जा सकता है। इसके लिए पहले अभ्यर्थी को Profile बनाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

प्रश्न 2- क्या अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा?

उत्तर- रजिस्ट्रेशन की सुविधा काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में रहेगी किन्तु एक बार जिस अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसे पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है।
MP Online द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया कोटा काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पृथक से रजिस्ट्रेशन करना होगा।

प्रश्न 3- क्या आयुष काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को अपना आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करना होगा ?

उत्तर- आयुष काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अपनी प्रोफाइल बनाने एवं पंजीयन करते समय अभ्यर्थी को स्वयं का आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर प्रयोग किया जाना/दर्ज किया जाना होगा। अभ्यर्थी के आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP अथवा पासवर्ड जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को एक अन्य वैकल्पिक मोबाईल नं. उपलब्ध कराना होगा। यह वैकल्पिक नं. अभ्यर्थी के माता/पिता/अभिभावक का ही होगा। एक बार रजिस्टर्ड मोबाईल नं. एक से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अपने आधार कार्ड में अपना नाम, पिता/माता का नाम, मोबाइल नंबर आदि समस्त जानकारी तथा उनके नीट परीक्षा में प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी एवं अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेज़ में अंकित समस्त जानकारी एक समान हो।

प्रश्न 4- अभ्यर्थी को प्रोफाइल बनाने एवं पंजीयन कराने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा ?

उत्तर- इसके लिए अभ्यर्थी को आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर अपने NEET UG रोल नंबर और जन्म तिथि को दर्ज करना होगा। इसके बाद अपनी शैक्षणिक व व्यक्तिगत जानकारी भरकर प्रोफाइल लॉक करनी होगी।

प्रश्न 5- अभ्यर्थी को लॉगिन के लिए पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा ?

उत्तर- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/पंजीयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर पोर्टल द्वारा पासवर्ड स्वचालित रूप से (System Generated) एसएमएस (SMS) के माध्यम से भेज दिया जाता है।

प्रश्न 6- अभ्यर्थी को पासवर्ड बनाने में दिक्कत हो रही है, इसका क्या संभावित कारण हो सकता है?,

उत्तर- इसका मुख्य कारण यह है कि बनाया जा रहा पासवर्ड पोर्टल के जटिलता नियमों (Complexity Rules) को पूरा नहीं कर रहा है। है। पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर (A-Z), एक स्मॉल लेटर (a-z), एक नंबर (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (जैसे @, #, $) होना अनिवार्य है।

प्रश्न 7- अभ्यर्थी अपना पासवर्ड भूल जाने पर उसे कैसे प्राप्त कर सकता है या नया पासवर्ड कैसे बना सकता है ?

उत्तर- अभ्यर्थी लॉगिन पेज पर दिए गए "Forgot Password" या "Reset Password" विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रोल नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिससे मोबाइल पर नया पासवर्ड या रीसेट लिंक भेज दिया जाएगा।

प्रश्न 8- यदि अभ्यर्थी को लॉगिन करने या OTP प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या समस्या हो सकती है ?

उत्तर- ओटीपी (OTP) न आने के मुख्य रूप से यह कारण हो सकते हैं अभ्यर्थी के मोबाइल पर नेटवर्क कमजोर होना या डीएनडी (DND - Do Not Disturb) सेवा सक्रिय होना।काउंसलिंग पोर्टल के सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक या तकनीकी खराबी होना।

प्रश्न 9- क्या पोर्टल से पूर्ण रूप से भरा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना आवश्यक है?

उत्तर- हाँ, यह अत्यंत आवश्यक है। पूरी तरह से भरे हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म (पंजीयन पर्ची) का प्रिंटआउट अभ्यर्थी को संभालकर रखना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और कॉलेज में प्रवेश (Admission) के समय इसकी प्रति जमा करनी होती है।

प्रश्न 10- क्या अभ्यर्थी पंजीयन के समय एक से अधिक संवर्ग/प्रवर्ग का एक साथ लाभ ले सकता है अथवा एक से अधिक संवर्ग/प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है ?

उत्तर- नहीं, केवल एक ही आरक्षित संवर्ग/प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 11- क्या सैनिक प्रवर्ग के 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हेतु पैरामेडिकल फोर्स (BSF, CRPF, etc) में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री भी पात्र हैं ?

उत्तर- नहीं। केवल भारतीय सेना के तीन अंगों थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में कार्यरत/ सेवामुक्त / मृत / युद्ध में विकलांग व्यक्तियों की संताने ही आरक्षण के पात्र हैं।

प्रश्न 12- क्या कोई अभ्यर्थी किसी संवर्ग (सैनिक) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग अथवा महिला संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है तो क्या वे अपने प्रवर्ग (UR/SC/ST/OBC/EWS) में बिना संवर्ग (X) के आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर- हाँ कर सकते हैं।

प्रश्न 13- क्या रजिस्ट्रेशन / च्वाईस फिलिंग के लिये अभ्यर्थी को महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा?

उत्तर- रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग ऑनलाईन प्रकिया है, अभ्यर्थी यह दोनों प्रक्रियाएं किसी भी स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से एम पी ऑनलाईन के पोर्टल पर कर सकेंगे।

प्रश्न 14- क्या पंजीयन के पश्चात अभिलेख सत्यापन करना अनिवार्य है?

उत्तर- काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में अभिलेख सत्यापन की सुविधा एवं पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है अभ्यर्थी को पूरी काउंसिलिंग में केवल एक बार ही पंजीयन एवं अभिलेख सत्यापन कराया जाना होगा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीयन कराया लिया है, उनको प्रदेश के 09 शासकीय आयुष महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेज़ के साथ तथा छाया प्रतियों के साथ निर्धारित तिथियों एवं स्लॉट के समय पर उपस्थित होना होगा

प्रश्न 15- दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) हेतु अभ्यर्थी को किस केन्द्र में जाना होगा?

उत्तर- Document Verification के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम में अधिसूचित तिथियों एवं समय में अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के किसी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में उपस्थित हो सकता है चाहे उसने slot booking के लिए किसी भी कॉलेज का slot का चुनाव किया हो।

प्रश्न 16- यदि कोई अभ्यर्थी किसी निर्धारित तिथि अथवा स्लॉट बुक करने पर भी महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या नहीं हो सका है तो क्या वह किसी अन्य शासकीय आयुष महा विद्यालय में किसी अन्य दिवस अथवा अन्य स्लॉट में दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकता है ?

उत्तर- अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में प्रदेश के किसी भी शासकीय आयुष महाविद्यालयों में एवं किसी भी स्लॉट में सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकेगा। अभ्यर्थी ने किसी भी महाविद्यालयीन कोई भी स्लॉट बुक किया हो किंतु वह सत्यापन हेतु प्रदेश के किसी भी शासकीय आयुष महाविद्यालय में निर्धारित तिथियों में किसी भी स्लॉट में उपस्थित हो सकता है

प्रश्न 17- यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में कोई आयुष महाविद्यालय या स्लॉट बुक किया है और वो इस राउण्ड में सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सका है तो क्या वह अगला राउंड में सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकता है?

उत्तर- यदि व्यक्ति पूर्व में पंजीकृत है अथवा जिस राउंड में भी पंजीकृत है और उसका सत्यापन नहीं हो सका है तो ऐसे अभ्यर्थी अगले राउंड में निर्धारित तिथि एवं समय में प्रदेश के किसी भी शासकीय आयुष महा विद्यालय में सत्यापन हुए उपस्थित हो सकता है।

प्रश्न 18- क्या अभ्यर्थी किसी भी सत्यापन केन्द्र में जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करा सकता है ?

उत्तर- आगामी राज्य स्तरीय काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पंजीयन पश्चात निर्धारित तिथि एवं समय में प्रदेश के शासकीय आयुष महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकता है।

प्रश्न 19- क्या दिव्यांग अभ्यर्थी को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ?

उत्तर- दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय बोर्ड एवं MCI द्वारा जारी Disability सर्टिफिकेशन सेन्टर से जारी किए गए दोनों प्रमाण पत्र अनिवार्य होगें।

प्रश्न 20- क्या स्टेट कोटे की आरक्षित प्रवर्ग एवं संवर्ग की सीटों पर म०प्र० से बाहर के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी ?

उत्तर- नहीं, स्टेट कोटे की आरक्षित सीटों पर राज्य शासन की अद्यतन आरक्षण नीति के अनुक्रम म०प्र० के मूल/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों ही पात्र होगें। उन्हें तत्संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित संवर्ग एवं प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जाती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 21- क्या शासकीय आयुष महाविद्यालयों की सीटों पर म.प्र. से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी ?

उत्तर- शासकीय महाविद्यालयों की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों की अनारक्षित सीटों पर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। निजी महाविद्यालयों में आरक्षित वर्ग की सीटों पर मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जावेगा तथा निजी महाविद्यालयों की अनारक्षित प्रवर्ग में म.प्र. के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जावेगी।

प्रश्न 22- क्या हर राउण्ड में चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है ?

उत्तर- हाँ, काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड (जैसे राउंड-1, राउंड-2 या तृतीय एवं स्ट्रे राउंड) में भाग लेने और सीट आवंटन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को नए सिरे से चॉइस फिलिंग करना और उसे लॉक (Lock) करना अनिवार्य होता है।

प्रश्न 23- द्वितीय चरण/तृतीय चरण में भाग लेने हेतु पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा ?

उत्तर- काउंसिलिंग के किसी भी चरण में भाग लेने हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात चॉइस फिलिंग एव च्वाईस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 24- च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी च्वाईस भरना अनिवार्य है ?

उत्तर-च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एक च्वाईस भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अधिकतम समस्त च्वाईस भर सकता है। च्वाईस फिलिंग के पश्चात अभ्यर्थी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 25- मुझे काउंसिलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर- आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर सकते है या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं।

जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवंटन पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है उन्हे सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में अधिसूचित तिथियों एवं समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उपस्थित होना होगा अन्यथा उसका आवंटन निरस्त हो जावेगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार अगले चरण की काउंसिलिंग हेतु पात्र होंगे।

प्रश्न 26- यदि अभ्यर्थी ने 'Satisfy' ऑप्शन चुनने के पश्चात भी प्रवेश हेतु महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो क्या ऐसे अभ्यर्थी पुनः अगले राउंड हेतु पात्र होंगे?

उत्तर- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 'Satisfy' ऑप्शन चुना है किंतु महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं ऐसे अभ्यर्थियों का आवंटन निरस्त हो जाएगा किंतु ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार अगले चरण में भाग ले सकेगें।

प्रश्न 27- यदि किसी अभ्यर्थी ने एक राउंड में Upgrade का ऑप्शन दिया है तो क्या उसे अगले राउंड में सम्मिलित होने के लिए पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा?

उत्तर- हाँ, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने Upgrade का ऑप्शन दिया है उसे अगले राउंड में पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने की स्थिति में उसका पूर्व में आवंटित सीट चली जाएगी एवं उस राउंड में भी उसको कोई भी महाविद्यालय/सीट आवंटित नहीं हो सकेगी ।

प्रश्न 28- जिन अभ्यर्थियों ने महा विद्यालय में प्रवेश ले लिया है क्या ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र होगें ?

उत्तर- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है एवं उनके द्वारा प्रवेश ले लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होगें।

प्रश्न 29- प्रथम चरण/द्वितीय चरण की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है क्या मैं द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूंगा?
उत्तर: यदि प्रथम चरण /द्वितीय चरण की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो आप द्वितीय चरण/तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र रहेंगे।

प्रश्न 30- प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैं प्रवेश नहीं लेता हूँ, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूँगा ?
उत्तर- प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर यदि प्रवेश नहीं लेते है, तो प्रवेश काउंसिलिंग नियम 2026 के अनुसार आगामी चरणों की कांउसिलिंग के लिये आप पात्र रहेगें।

प्रश्न 31- काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन विकल्प की सुविधा किन चरणों में उपलब्ध है ?
उत्तर- अभ्यर्थी को प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प दिये जाने की सुविधा है।

प्रश्न 32 - मैं अपग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार से दे सकता हूँ ?
उत्तर- अभ्यर्थी को प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात अपग्रेडेशन विकल्प उपलब्ध रहेगा।

प्रश्न 33- प्रथम चरण/द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने द्वितीय चरण/तृतीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं ?
उत्तर- यदि आपने प्रथम चरण/द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तथा द्वितीय चरण/ तृतीय चरण में आप अपग्रेड नहीं होते हैं तो ऐसी दशा में आपकी प्रथम चरण/ द्वितीय चरण की आवंटित सीट यथावत रहेगी। चॉइस फिलिंग एण्ड लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 34- यदि मैं प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ, एवं उस सीट से प्रवेश निरस्त करा लेता हूँ तो क्या मैं द्वितीय/तृतीय चरण की कांउसिलिंग के लिये पात्र रहूंगा ?
उत्तर- हाँ ।

प्रश्न 35- प्रवेशित सीट से प्रवेश निरस्त किये जाने की प्रकिया क्या होगी ?
उत्तर- प्रवेशित सीट से प्रवेश निरस्त करने की प्रक्रिया ऑनलाईन है। प्रवेशित सीट से ऑनलाईन प्रवेश निरस्त करने की प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर निर्धारित काउंसिलिंग कार्यक्रम की तिथि एवं समय में किया जा सकेगा। प्रवेश निरस्त करने हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

प्रश्न 36- प्रवेश निरस्त कराने पर अभ्यर्थी की फीस में से कितनी कटौती होगी अथवा कितनी शुल्क राशि वापस की जाएगी ?
उत्तर- प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में शुल्क की वापसी/कटौती काउंसलिंग नियम 2026-27 में निर्धारित शुल्क वापसी संबंधी नियमों द्वारा की जायेगी।

प्रश्न 37- प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने/प्रवेश निरस्त कराने पर सीट लिविंग बॉण्ड कब लागू होगा ?

उत्तर- राज्य की शासकीय (स्वशासी) संस्था में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय सीट लीविंग बांड प्रस्तुत करना होगा जिसके अनुसार यदि कोई छात्र/छात्रा अंतिम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् अपनी सीट रिक्त करता है अथवा त्यागपत्र देता है और किसी अन्य छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है अथवा अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी भी प्रवेश निरस्त कराने पर उस स्थिति में छात्र/छात्रा को रूपये 02.00 लाख मात्र (कुल दो लाख) (स्नातक) एवं 5.00 लाख मात्र (कुल पाँच लोख) (स्नातकोत्तर) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने होंगे जिसके उपरांत ही प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न 38- स्ट्रे वैकेन्सी राउंड में कौन से अभ्यर्थी पात्र होगें ?

उत्तर- जिन अभ्यर्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनों राउंड में सीट आवंटित हुई है अथवा जो पूर्व में प्रवेशित हो चुके हैं ऐसे अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य समस्त पूर्व में पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी एवं नवीन अभ्यर्थी जिनका पंजीयन एवं सत्यापन हो चुका है वे सभी स्ट्रे वैकेन्सी राउंड में भाग ले सकेगें। किंतु जिस अभ्यर्थी को एक अथवा दो राउंड में सीट आवंटित हुई है एवं उनके द्वारा महाविद्यायल में प्रवेश नहीं लिया गया है स्ट्रे वैकेन्सी राउंड में भाग ले सकेंगे।

प्रश्न 39- प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग्य स्नातक पाठ्यक्रम (BNYS) में प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी को क्या NEET परीक्षा में पास होना अनिवार्य है अथवा इस पाठयक्रम की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए ?

उत्तर- प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग्य स्नातक पाठ्यक्रम (BNYS) में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र को NEET परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है, अभ्यर्थी को (BNYS) में प्रवेश हेतु 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में अलग अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रश्न 40- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की इंटर्नशिप पूर्ण होने की तिथि क्या होगी ?

उत्तर- प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में पंजीयन से पूर्व इंटर्नशिप पूर्ण हो जानी चाहिए। अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में सम्मिलित होने के लिए उस चरण से पूर्व उसकी इंटर्नशिप पूर्ण होनी चाहिए।

प्रश्न 41-अभ्यर्थी को महाविद्यालय की फीस संबंधी जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है ?

उत्तर- अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की फीस संबंधी जानकारी संबंधित महाविद्यालय की वेबसाईट/नोटिस बोर्ड अथवा दूरभाष पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों की फीस संबंधी जानकारी प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

प्रश्न 42- काउंसिलिंग की प्रक्रिया/दिशा निर्देश के लिये मुझे किस वेबसाईट का इस्तेमाल करना होगा ?

उत्तर- काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं काउंसिलिंग संबंधी प्रवेश नियम, समस्त जानकारी /अपडेट हेतु वेबसाइट **www.ayushmp.gov.in** तथा **http://ayush.mponline.gov.in** का समय-समय पर सतत अवलोकन करते रहना होगा। काउंसलिंग से संबंधित समस्त प्रक्रिया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश उक्त वेबसाइटों के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

प्रश्न 43- काउंसिलिंग संबंधी किसी भी जानकारी अथवा समस्या हेतु किस दूरभाष नं. पर संपर्क कर सकते है ?

उत्तर- अभ्यर्थी आयुष विभाग की हेल्पलाइन नंबर **0755- 2990500** एवं MPOnline की हेल्पलाइन नंबर **0755-6720206** पर संपर्क कर सकते है।

डॉ. पंकज गुप्ता
उप संचालक
संचालनालय आयुष म.प्र.